

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295] नई दिल्ली, शुक्रवार विसम्बर 14, 1973/अग्रहायण 23, 1895
No. 295] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 1973/AGRAHAYANA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 14th December, 1973

G.S.R.-522 (E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Order, 1973.

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force from the 15th day of December, 1973.

2. In the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Order, 1973 (herein-after referred to as the said Order), after clause 2, the following clause shall be inserted, namely :—

“3. Notwithstanding any provision, in respect of price to be paid to a producer, contained in the Orders issued prior to this Order under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972, requiring such producer to sell any sugar out of the production of the year 1973-74 (whether to Central Government or a State Government or to an Officer or agent of such Government or to any other person or class of persons), the prices now determined by this Order shall apply to all sugar delivered on or after the 15th December, 1973 against the said Orders under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972.”

3. For Schedule I annexed to the said Order, the following Schedule I shall be substituted namely :—

“SCHEDULE I

Ex-factory prices (Rupees per quintal) Grade-wise for I. S. Grades (Exclusive of Excise Duty)

Area	A—30 B—30 C—30	D—30	E—30	A—29 B—29 C—29	D—29	E—29
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Punjab	196·03	194·88	194·33	195·03	194·03	193·53
Haryana	172·08	170·93	170·38	117·08	170·08	169·58
Rajasthan	177·52	176·37	175·82	176·52	175·52	175·0
West U. P. . . .	159·83	158·68	158·13	158·83	157·83	157·33
Central U. P. . . .	157·30	156·15	155·60	156·30	155·30	154·80
East U. P. . . .	169·95	168·80	168·25	168·95	167·95	167·45
North Bihar	171·80	170·65	170·10	170·80	169·80	169·30
South Bihar	185·07	183·92	183·37	184·07	183·07	182·57
Gujarat	152·35	151·20	150·65	151·35	150·35	149·85
Madhya Pradesh	180·65	179·50	178·95	179·65	178·65	178·15
Maharashtra and Goa	158·99	157·84	157·29	157·99	156·99	156·49
Karnataka	161·14	159·99	159·44	160·14	159·14	158·64
Andhra Pradesh	151·55	150·40	149·85	150·55	149·55	149·05
Tamil Nadu & Pondi- Cherry	157·19	156·04	155·49	156·19	155·19	154·69
Assam, Nagaland, Orissa and West Bengal	165·92	164·77	146·22	164·92	163·92	163·42
Kerala	715·58	174·43	173·88	174·58	173·58	173·08”

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1973

सा. क. नि. 522 (अ)/आ. व. 5/अर्करी.—केन्द्रीय सरकार, प्रायण्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, जर्करी (1973-74 में उत्पादित जर्करी कीमत अवधारण) आदेश, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जर्करी (1973-74 में उत्पादित जर्करी कीमत अवधारण) आदेश, 1973 है।

(2) यह आदेश 1973 के दिसम्बर, के 15वें दिन को प्रारम्भ होगा।

2. जर्करी (1973-74 में उत्पादित जर्करी कीमत अवधारण) आदेश, 1973 (जिसे इनमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 2 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. किसी उत्पादक को संशुद्ध की जाने वाली कीमत की वायत, उद्घुर्द्धित जर्करी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 के खण्ड 2 के उपखण्ड (1) के अधीन इस आदेश के पूर्व जारी किए गए आदेशों में अन्तर्निष्ठ किसी उपबन्ध के होने हुए भी, जिसमें ऐसे उत्पादक से (चाहे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को) वर्ष 1973-74 के उत्पादन में से कोई जर्करी बेचने की प्रपेक्षा की गई है, इस आदेश द्वारा अब अवधारित कीमत, उद्घुर्द्धित जर्करी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 के खंड 2 के उपखण्ड (1) के अधीन उक्त आदेशों के विरुद्ध 15 दिसम्बर, 1973 को या उनके पश्चात् परिदाय किए गए सब जर्करी को लागू होगी।”

3. उक्त आदेश से उपायद्व अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची 1 रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची—1

भा० ग० मा० श्रेणियों के लिए श्रेणी अनुसार (रुपये प्रति क्विंटल) कारखाना द्वारा पर कीमते
(उत्पादन शुल्क रहित)

क्षेत्र	क—30			क—29		
	ख—30	घ—30	ङ—30	ख—29	घ—29	ङ—29
	ग—30			ग—29		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंजाब	196 '03	194 '88	194 '33	195 '03	194 '03	193 '53
हरियाणा	172 '08	170 '93	170 '38	171 '08	170 '08	169 '58
राजस्थान	177 '52	176 '37	175 '82	176 '52	175 '52	175 '02
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	159 '83	158 '68	158 '13	158 '83	157 '83	157 '33
मध्य उत्तर प्रदेश	157 '30	156 '15	155 '60	156 '30	155 '30	154 '80
पूर्वी उत्तर प्रदेश	169 '95	168 '80	168 '25	168 '95	167 '95	167 '45
उत्तरी बिहार	171 '80	170 '65	170 '10	170 '80	169 '80	169 '30
दक्षिणी बिहार	185 '07	183 '92	183 '37	184 '07	183 '07	182 '57
गुजरात	152 '35	151 '20	150 '65	151 '35	150 '35	149 '85
मध्य प्रदेश	180 '65	179 '50	178 '95	179 '65	178 '65	178 '15
महाराष्ट्र और गोआ	158 '99	157 '84	157 '29	157 '99	156 '99	156 '49
कर्नाटक	161 '14	159 '99	159 '44	160 '14	159 '14	158 '64
आन्ध्र प्रदेश	151 '55	150 '40	149 '85	150 '55	149 '55	149 '05
तमिल नाडु और पांडि- चेरी	157 '19	156 '04	155 '49	156 '19	155 '19	154 '69
असम, नागालैण्ड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल	165 '92	164 '77	164 '22	164 '92	163 '92	163 '42
केरल	175 '58	174 '43	173 '88	174 '58	173 '58	173 '08"

[2-5/73-एस० पी० वाई०]

एस० बी० सम्पत्त, संयुक्त सचिव ।